

फर्द अहकाम

केलाश नारायण बनाम सेडू राण

आलय

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

दिनांक 89/2019

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

10/8/20 पत्रवाली पेश हुई। बकील अमर पक्ष उपय

~~पत्रवाली~~ पूर्वानुसार वास्तो तस्वी/जवाब
दिनांक 12/10/20 को पेश हो। OP

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

12/10/20 पत्रवाली पेश हुई
पत्रवाली पूर्वानुसार वास्तो तस्वी/जवाब
दिनांक 21/11/20 को पेश हो। OP

पत्रवाली पेश हुई। बकील अमर पक्ष उपय
पूर्वानुसार वास्तो तस्वी/जवाब प्राणपत्र हेतु
दिनांक 29/11/20 को पेश हो। OP

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

29/11/20 पत्रवाली पेश हुई। बकील अमर पक्ष उपय
~~पत्रवाली~~ पूर्वानुसार वास्तो तस्वी/जवाब प्राणपत्र हेतु
दिनांक 12/11/21 को पेश हो। OP

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

12/11/21 पत्रवाली पेश हुई। बकील अमर पक्ष उपय
~~पत्रवाली~~ पूर्वानुसार वास्तो तस्वी/जवाब प्राणपत्र हेतु
दिनांक 12/2/21 को पेश हो। OP

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

02/2/21 प्राणी केलाश नारायण ने विशेष
बकील एक प्रार्थना पत्रा का पेश
करने पर पत्रवाली आज्ञा पेश हुई।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किता
कि प्राणी उक्त प्रकरण में अक
कोई आगे कार्यवाही करना नहीं
चाहते हैं इसी संज्ञ पर अज्ञात

Handwritten signature
I-2

उपरोक्त मसौदा कार्यवाही का अन्त रारुद्र

फर्द अहकाम

कैलाशचन्द्रनारायण बनाम सेदुराम वर्मा

नाम न्यायालय

केस संख्या 89/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>किया जाये। वादी कैलाशचन्द्रनारायण स्वयं उपस्थित। दुसरी पक्षीय नरुद्र के अधिवक्ता श्री रामशंकर शर्मा ने की। डॉ. आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किए।</p> <p>वकील वादी व पक्षी को सुनने के उपरान्त विद्वा. प्रथम पुत्र विद्वा. को खीकाए किया जाता है तथा वाद को विद्वा. करने की खीकृति प्रदान की जाती है तथा वाद को खारिज किया जाता है।</p> <p>पक्षी फेमाल सुमार लेकर नरुद्र के फर हो वाद खति खारिज उपर हो।</p> <p style="text-align: right;">[उपरुद्र] जनवारि...</p>